

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, बरेली की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में दिनांक 01.06.2026 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 01.06.2026 को जिलाधिकारी महोदय, बरेली की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार, बरेली में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत OHT सुरक्षा एवं निरीक्षण संबंधी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनपद में निर्मित ओवरहेड टैंकों (OHTs) की संरचनात्मक सुरक्षा, गुणवत्ता, स्थायित्व एवं नोडल अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों, कार्यदायी संस्था NCC, तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्था (TPI&BLG), DPMU एवं उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा बैठक करते हुए निर्देश दिये गये कि :-

1. **नोडल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की समीक्षा** – अवगत कराया गया कि जनपद की कुल 498 OHTs के निरीक्षण हेतु 97 नोडल अधिकारियों को नामित किया गया था। समीक्षा के दौरान पाया गया कि 24 नोडल अधिकारियों की निरीक्षण आख्या प्राप्त नहीं हुई थी। बैठक के दौरान पुनः समीक्षा करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त 24 में से 16 नोडल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। वर्तमान में केवल 08 नोडल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस पर जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि शेष 08 नोडल अधिकारी 03 दिवस के भीतर अपने आवंटित समस्त OHTs का निरीक्षण पूर्ण कर विस्तृत रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

2. **विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों का विवरण** – जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यरत NCC, TPI (BLG), PMU तथा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) अपने-अपने समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अद्यतन विवरण तत्काल उपलब्ध कराएं। प्रत्येक संस्था द्वारा निम्न विवरण उपलब्ध कराया जाएगा—

1. नाम (Name)
2. पदनाम (Designation)
3. तैनाती/कार्य क्षेत्र (Posting Area/Block/Scheme)
4. मोबाइल नंबर (Mobile Number)

जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि उक्त सूचना उपलब्ध कराई जाए जिससे जनपद में कार्यरत कुल मानव संसाधन की स्थिति का समुचित आकलन किया जा सके तथा आवश्यकतानुसार सीधा समन्वय स्थापित किया जा सके।

3. **तालाब/नदी के निकट स्थित OHTs** - प्राप्त 372 निरीक्षण आख्या के विश्लेषण में 176 स्थलों पर OHT अथवा योजना अवयव तालाब, नदी अथवा अन्य जल निकायों के निकट पाए गए।

जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि ऐसे सभी स्थलों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर पृथक फाइल तैयार की जाए—

Category-A (Critical) : जहां कटान अथवा अन्य कारणों से ऋज की सुरक्षा पर वर्तमान में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो अथवा निकट भविष्य में गंभीर खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो।

Category-B (Moderate) : जहां वर्तमान में खतरा नहीं है किन्तु भविष्य में संरचना प्रभावित होने की संभावना हो।

Category-C (Low Risk) : जहां वर्तमान एवं निकट भविष्य में कोई जोखिम परिलक्षित नहीं होता हो।

Category-A के प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेते हुए आवश्यक सुरक्षात्मक कार्यवाही तत्काल प्रस्तावित की जाए।

4. **मिट्टी भराव (Earth Filling)**— 178 स्थलों पर अतिरिक्त मिट्टी भराव की आवश्यकता पाई गई। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि इन सभी स्थलों को भी **Category-A, B** एवं **C** में वर्गीकृत कर पृथक फाइल तैयार की जाए तथा आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों सहित कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
5. **हनीकॉम्बिंग एवं माइनर क्रैक्स** — 81 स्थलों पर हनीकॉम्बिंग एवं माइनर क्रैक्स पाए गए। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि सभी ऐसे स्थलों पर तत्काल **NDT (Non-Destructive Testing)** कराई जाए। परीक्षण केवल **Rebound Hammer Test** एवं अन्य स्वीकृत **NDT** विधियों के माध्यम से किया जाएगा। समस्त परीक्षण रिपोर्ट अगली समीक्षा बैठक में प्रस्तुत की जाए।
6. **कॉलम एवं स्टेयरकेस की वर्टिकलिटी** — 20 स्थलों पर कॉलम एवं स्टेयरकेस की वर्टिकलिटी मानक अनुरूप नहीं पाई गई। इस पर जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि ऐसे समस्त प्रकरणों की विस्तृत तकनीकी जांच कराई जाए तथा संरचनात्मक सुरक्षा के दृष्टिकोण से पृथक तकनीकी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए।
7. **सीपेज संबंधी प्रकरण** — निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थलों पर सीपेज संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं। जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विशेष रूप से रिंग बीम, कंटेनर अथवा अन्य संरचनात्मक भागों में किसी भी प्रकार की सीपेज स्वीकार्य नहीं होगी। सभी प्रकरणों का परीक्षण कर कारणों सहित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही तत्काल कराई जाए।
8. **OHT परिसरों के निकट घनी आबादी** — कई OHT परिसरों के आसपास घनी आबादी स्थित पाई गई। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि ऐसे सभी स्थलों का जोखिम मूल्यांकन (**Risk Assessment**) कराया जाए तथा यह परीक्षण किया जाए कि किसी आकस्मिक संरचनात्मक विफलता की स्थिति में आसपास की आबादी किस सीमा तक प्रभावित हो सकती है। ऐसे सभी स्थलों को भी **Category-A, B** एवं **C** में वर्गीकृत कर पृथक रिपोर्ट तैयार की जाए।
9. **जलभराव (Water Logging)** — 32 स्थलों पर जलभराव की समस्या पाई गई। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि ऐसे सभी स्थलों पर स्थायी जल निकासी व्यवस्था विकसित करने हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाएं, जिससे भविष्य में OHT परिसर एवं नींव पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
10. **Loose Soil के प्रकरण** — 55 स्थलों पर Loose Soil की स्थिति पाई गई। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि ऐसे सभी स्थलों की Soil Bearing Capacity (SBC) का पुनः परीक्षण कराया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त भू-तकनीकी जांच कराई जाए।
11. **स्टेयरकेस एवं सुरक्षा संबंधी बिंदु** — 33 स्थलों पर स्टील स्टेयरकेस एवं 20 स्थलों पर सीढ़ियों से संबंधित संरचनात्मक टिप्पणियां प्राप्त हुईं। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि जहां-जहां **Spiral Staircase** अथवा अन्य सुरक्षा की दृष्टि से कम उपयुक्त व्यवस्थाएं हैं, वहां विस्तृत तकनीकी परीक्षण कराया जाए तथा आवश्यकता अनुसार **MS Staircase** स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए।

12. अनुपालन एवं कार्ययोजना – जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि उपर्युक्त समस्त बिंदुओं पर Category-wise विस्तृत संकलित फाइल तैयार की जाए। प्रत्येक प्रकरण में फोटोग्राफ, स्थल विवरण, तकनीकी टिप्पणियां, जोखिम स्तर एवं प्रस्तावित कार्यवाही का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। NCC, TPI, PMU एवं उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) संयुक्त रूप से सभी बिंदुओं पर समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर अगली समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में दिए गए समस्त निर्देशों का अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए।



अधिशासी अभियन्ता
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
बरेली

प्रतिलिपि—

1. जिलाधिकारी महोदय, बरेली।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बरेली।
3. टी०पी०आई० (बी०एल०जी०) बरेली।
4. मै० एन०सी०सी० लि०, बरेली।
5. समस्त ISA एजेंसी, बरेली।



अधिशासी अभियन्ता
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
बरेली